मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-4

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

गुरुवार, दिनांक 28 जुलाई, 2005 (श्रावण 6, 1927)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.30 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 19 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

(श्री रामलखन शर्मा एवं कुंवर विजय बहादुर सिंह बुन्देला, सदस्य ने प्रश्न संख्या-16 "नगर पंचायत लौड़ी अतंर्गत भूख से वृद्ध महिला की मौत होने" संबंधी मामले पर सरकार द्वारा अमानवीय दृष्टिकोण अपनाने का आरोप लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 77 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 83 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

(डॉ. सुनीलम्, श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य अपनी-अपनी बात कहते हुए गर्भगृह में आये तथा अध्यक्ष महोदय के अनुरोध पर वापस अपने आसन पर चले गये)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री राजेश पटेल, सदस्य ने पुनर्घन्त्वीकरण योजनान्तर्गत नार्थ टी.टी. नगर भोपाल स्थित श्री हास्पिटल से होटल पलाश तक स्थित बहुमंजिला भवन बनाने से रहवासी परेशान होने,

(2) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने भिण्ड जिले के आलमपुर थाना क्षेत्र के ग्राम गैथरी में सशस्त्र डकैतों द्वारा जानलेवा हमला करने,

(3) पं. रमेश दुबे, सदस्य ने छिन्दवाड़ा जिले के चौरई विधान सभा क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षकों एवं व्याख्याताओं के पद रिक्त होने,

(4) श्री मनोहरलाल राठौर, सदस्य ने सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत अ.ज.ज. के व्यक्तियों को कक्षा 10 उत्तीर्ण उपरांत नियुक्ति दिये जाने,

(5) श्री आरिफ अकील, सदस्य ने भोपाल वार्ड क्र. 43 न्यू धोबीघाट के बड़ा बाग पातरा पुल की कालोनी में कम बोल्टेज के ट्रांसफार्मर लगाये जाने,

(6) श्री छोटेलाल सरावगी (खुद्दी भैया), सदस्य ने शहडोल व रीवा की स्वास्थ्य सेवाओं में भ्रष्टाचार होने,

(7) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने श्योपुर जिले की वियजपुर तहसील अंतर्गत ई जी एस पिछले तीन वर्षों से बंद पड़ी रहने,

(8) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य ने खेजड़ियां मेघा सिचाई तालाब को नही बनाये जाने, तथा

(9) डॉ. शिवराज शाह, सदस्य ने मंडला जिले में कार्य योजना बनाये जाने में अनियमितता होने, संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कैलाश चावला, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश वृत्तिकर अधिनियम, 1995 (क्रमांक 16 सन् 1995) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-3-43-2001-विक-पांच (24) दिनांक 10 दिसम्बर, 2004,

(2) कुंवर विजय शाह, आदिम जाति कल्याण मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, अधिनियम, 1995 (क्रमांक 24 सन् 1995) की धारा 17 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.23-35-95-पच्चीस-5, दिनांक 31 जनवरी, 2005,

(3) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, राज्यमंत्री, विधि और विधायी कार्य ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (क्रमांक 39 सन् 1987) की धारा 30 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई) 8-2002-इक्कीस-ब (दो), दिनांक 15 जून, 2005,

(4) श्री गंगाराम पटेल, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 17 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.2-1-2000-एक-10, दिनांक 15 फरवरी, 2005,

पटल पर रखे।

4. वक्तव्य

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री ने नक्सलियों द्वारा मनाये जा रहे शहीद सप्ताह के संबंध में वक्तव्य दिया।

श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की ।

5. ध्यानाकर्षण

(1) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल (गुड्डा), सदस्य ने बालाघाट जिले की विभिन्न तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किये जाने के बावजूद सहकारी बैंकों द्वारा किसानों एवं व्यापारियों से ऋण की वसूली किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

सुश्री कुसुम सिंह महदेले, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री दरबू सिंह उईके, सदस्य ने मंडला जिले के नैनपुर विकास खण्ड में आबकारी विभाग के अमले द्वारा आदिवासियों का शोषण किये जाने की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री कैलाश चावला, वाणिज्यिक कर मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

6. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री अखण्ड प्रताप सिंह यादव, सभापति ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का आठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 29 जुलाई,2005 को चर्चा के लिए आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित समय अशासकीय विधेयक तथा अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निर्धारित करने की सिफारिश की है।

शुक्रवार, दिनांक 29 जुलाई, 2005

अशासकीय विधेयक — **निर्धारित समय**

मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) — 0.5 मिनट
विधेयक, 2005(क्रमांक-6 सन् 2005)
का पुर:स्थापन-भारसाधक सदस्य-श्री सत्यदेव कटारे

आशासकीय संकल्प

1.	(क्रमांक-13,64)	डॉ. शिवराज शाह"शिवा भैया", श्री उम्मेद सिंह बना	45 मिनट
2.	(क्रमांक-17,36,67)	सर्वश्री रामनिवास रावत, बृजेन्द्र तिवारी, दुर्गालाल विजय	30 मिनट
3.	(क्रमांक 23)	श्री सत्यदेव कटारे	45 मिनट
4.	(क्रमांक-31,71)	सर्वश्री निशिथ पटेल, शरद जैन	25 मिनट

श्री अखण्ड प्रताप सिंह यादव ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयको तथा संकल्पों संबंधी समिति के आठवें प्रतिवेदन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री ने मध्यप्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 10 सन् 2005) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

8. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा (क्रमशः)

प्रदेश के विभिन्न जिलों में अति वृष्टि एवं बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के संबंध में पुनर्ग्रहित चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्रीमती अलका जैन

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(2) श्री हरवंश सिंह
(3) श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा
(4) श्री लाखन सिंह बघेल
(5) श्री गोविन्द सिंह राजपूत
(6) श्री शंकर लाल तिवारी (भाषण अपूर्ण)

(1.00 बजे से 2.36 बजे तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

श्री शंकर लाल तिवारी, सदस्य ने अपना भाषण पूर्ण किया।

(7) श्री रामनिवास रावत
(8) डॉ. सुनीलम्
(9) श्री निशिथ पटेल
(10) श्री दिलीप दुबे
(11) कुंवर ध्रुव प्रताप सिंह
(12) श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष

सुश्री कुसुम सिंह महदेले, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(नेता प्रतिपक्ष, श्रीमती जमुना देवी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने बाढ़ पीड़ितों को राहत और मदद न देने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया)

(श्री रामलखन शर्मा, डॉ.सुनीलम्, श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा, सदस्य ने बाढ़ पीड़ितों को भरपूर मदद न देने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया)

9. प्रतिवेदनों पर चर्चा

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 एवं 2003-2004 पर प्रारम्भ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री सज्जन सिंह वर्मा

(2) श्री गजराज सिंह सिकरवार (भाषण अपूर्ण)

(चर्चा अपूर्ण)

05.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 29 जुलाई, 2005 (श्रावण 7, 1927) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.